न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 147 / 2019
निर्णय दिनांकः– 04.02.2021

उनवान

1. रामदेव पुत्र देवीलाल जाति मीना निवासी सरदारपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री बेणीप्रसाद मीना वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 280 कुल किता 4 कुल रकबा 2.93 है0 वाके ग्राम फुलेता, खाता संख्या 275 कुल किता 3 रकबा 2.17 है0 वाके ग्राम फुलेता, खाता संख्या 61 कुल किता 5 कुल रकबा 2.96 है0 वाके ग्राम सरदारपुरा, खाता संख्या 59 कुल किता 1 रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामदेव पुत्र देवीलाल है। प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, व जमाबंदी खाता संख्या 59 वाके ग्राम सरदारपुरा में प्रार्थी नाम रामदेव पुत्र देवीलाल अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 280 ग्राम फुलेता में प्रार्थी का नाम सहवन से रामदेवा पुत्र देब्या, खाता संख्या 275 ग्राम फुलेता में रामेदव पुत्र देवा, खाता संख्या 61 ग्राम सरदारपुरा में रामदेवा पुत्र देवीलाल अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम रामदेव पुत्र देवीलाल है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात जमाबन्दी खाता संख्या 280 ग्राम फुलेता में प्रार्थी का नाम रामदेवा पुत्र देब्या, खाता संख्या 275 ग्राम फुलेता में रामेदव पुत्र देवा, खाता संख्या 61 ग्राम सरदारपुरा में रामदेवा पुत्र देवीलाल तहसील उनियारा जिला टोंक के स्थान पर प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र देवीलाल अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड खाता संख्या 280 ग्राम फुलेता में प्रार्थी का नाम रामदेवा पुत्र देब्या, खाता संख्या 275 ग्राम फुलेता में रामेदव पुत्र देवा, खाता संख्या 61 ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

सरदारपुरा में रामदेवा पुत्र देवीलाल तहसील उनियारा जिला टोंक दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से उपरोक्त वर्णित खातों में रामदेव पुत्र देवीलाल किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 280 ग्राम फुलेता में प्रार्थी का नाम रामदेवा पुत्र देब्या, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 275 ग्राम फुलेता में रामेदव पुत्र देवा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 61 ग्राम सरदारपुरा में रामदेवा पुत्र देवीलाल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र देवीलाल दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी प्रार्थी का नाम खाता संख्या 280 ग्राम फुलेता में प्रार्थी का नाम रामदेवा पुत्र देब्या, खाता संख्या 275 ग्राम फुलेता में रामेदव पुत्र देवा, खाता संख्या 61 ग्राम सरदारपुरा में रामदेवा पुत्र देवीलाल तहसील उनियारा जिला टोंक के स्थान पर प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र देवीलाल किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 280 ग्राम फुलेता में प्रार्थी का नाम रामदेवा पुत्र देब्या, खाता संख्या 275 ग्राम फुलेता में रामेदव पुत्र देवा, खाता संख्या 61 ग्राम सरदारपुरा में रामदेवा पुत्र देवीलाल तहसील उनियारा जिला टोंक के सभी खातों में प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र देवीलाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व किसी व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित को सूचित करने के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

यह निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री अंजली मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

s.136.106